संयुक्त फार्मेसी एवम् नर्सिंग प्रवेश परीक्षा – 2025

Combined Pharmacy & Nursing Entrance Test - 2025

सी0पी0एन0ई0टी0–2025 (CPNET – 2025)

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

विश्वविद्यालय के फार्मेसी एवम् नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CPNET – 2025)

ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि 12/06/2025	Online Application Starts from 12/06/2025
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/06/2025	Last Date for Online Application submission - 30/06/2025
परीक्षा की तिथि संभावित 13/07/2025	Examination Date Tentative 13/07/2025

Website : **www.upums.ac.in**

Helpline email : **help.cpnet@gmail.com**

Helpline Number : **02261306274**

विषय सूची (Index)

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सी.पी.एन.ई.टी. – 2025 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ	2
2.	महत्वपूर्ण सूचनायें	3
3.	पाठ्यक्रम, सीटें व शैक्षिक योग्यता का विवरण	4-6
4.	आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क	6
5.	परीक्षा कार्यक्रम	7
6.	आरक्षण	8
7.	प्रवेश–पत्र	8
8.	परीक्षा परिणाम, स्क्रूटनी, मेरिट सूची एवं काउंसिलिंग	8-10
9.	प्रवेश प्रक्रिया	11
10.	प्रशिक्षण शुल्क	12
11.	विभिन्न प्रपत्रों के प्रारूप	13-16

(1) सी.पी.एन.ई.टी. – 2025 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	12 जून, 2025 (ब्रहस्पतिवार) प्रातः 10:00 बजे से
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	30 जून, 2025 (सोमवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3.	आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि (Correction Window)	01 जुलाई, 2025 (मंगलवार) प्रातः 9:00 बजे से 02 जुलाई, 2025 (बुधवार) रात्रि 11:59 बजे तक
4.	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	08 जुलाई, 2025 (मंगलवार)
5.	प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि	13 जुलाई, 2025 (रविवार)
6.	उत्तर कुंजी (Answer Key) प्रदर्शित करने की संभावित तिथि	14 जुलाई, 2025 (सोमवार)
7.	परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि	14 जुलाई, 2025 (सोमवार)
8.	स्क्रूटिनी हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की संभावित अवधि	14 जुलाई, 2025 (प्रातः 09:00 बजे) से 16 जुलाई, 2025 (सायं 5:00 बजे) तक
9.	मेरिट सूची घोषित करने की संभावित तिथि	18 जुलाई, 2025 (शुक्रवार)
10.	काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण प्रारम्भ होने की संभावित तिथि	18 जुलाई, 2025 (शुक्रवार) से 22 जुलाई, 2025 (मंगलवार)
11.	काउन्सिलिंग की संभावित तिथि	24 जुलाई, 2025 (ब्रहस्पतिवार) से

(2) महत्वपूर्ण सूचनायें (Important Information)

1. सी0पी0एन0ई0टी0–2025 से सम्बन्धित तिथियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.upums.ac.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **सी0पी0एन0ई0टी0–2025 में केवल वही परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों अथवा जिन परीक्षार्थियों ने 10^{th} व 12^{th} उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण किया हो।**
3. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होगा। कोई भी प्रार्थना पत्र डाक, ई–मेल या व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं होगा।
4. इस विवरण पुस्तिका में उल्लिखित अर्हता खण्ड के अनुसार ही आवेदक को अपनी पात्रता का आंकलन स्वयं करना होगा। पात्रता मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय ही सुनिश्चित होगी। अयोग्य अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगें और वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगें।
5. अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करें। एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
6. **अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।**
7. विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन हेतु एक ही आवेदन पत्र भरना पर्याप्त है। अतः विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अलग–अलग आवेदन–पत्र न भरें।
8. परीक्षार्थी आनलाईन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ (पासपोर्ट साईज) की 10 प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रख लें।
9. सी.पी.एन.ई.टी.–2025 परीक्षा से संबंधित समस्त विधिक विवाद उ0प्र0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।

परीक्षा एवम् प्रवेश सम्बन्धित समस्त सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर प्रदर्शित की जायेंगी। अतः अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी कठिनाई में हेल्पलाईन नं0 02261306274/ईमेल आई0डी0: help.cpnet@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(3) पाठ्यक्रमों (Courses) के नाम, अवधि, सीटों की संख्या एवम् शैक्षणिक योग्यता

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संकाय	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	बैचलर आफ फॉर्मेसी (B.Pharm)	फार्मेसी	4 वर्ष (08 सेमेस्टर)	60	Intermediate (10+2) or equivalent examination passed with Physics, Chemistry and Biology/ Mathematics is essential. Age:- on 31/12/2025 it should not be less then 17 years.
2	डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (G.N.M.)	नर्सिंग	3 वर्ष	60	• 10+2 with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination and English individually from any recognized board. Candidates are also eligible from State Open School recognized by State Government and National Institute of Open School (NIOS) recognized by Central Government, however, Science is preferable. **OR** • 10+2 with English having 40% of marks in vocational ANM course from the school recognized by Indian Nursing council. **OR** • 10 + 2 with English having 40% of marks **in Vocational stream- Health Care Science** from a recognized CBSE board/Centre. **(In 10+2 Certificate/ Marksheet, Vocational Stream-Health care Science must be mentioned)** **OR** • Registered ANM with pass mark (For ANM / for LHV, there is no age bar). • 5% is relaxed for SC/ST candidates. • As per on 31/12/2025, the minimum age for admission is 17 years and there is no upper age limit as per INC • Student shall be medically fit Disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity will be considered for Disabled person

3	डिप्लोमा इन ऑक्ज़ीलरी नर्स मिडवाइफरी (A.N.M.) (केवल महिलाओं हेतु)	नर्सिंग	2 वर्ष	50	10 + 2 in Science (Physics, Chemistry, Biology, Mathematics) passing out from recognized Board or NIOS. **OR** 10 + 2 in Arts & Others (Bio-technology, Economics, Political Science, History, Geography, Business Studies, Accountancy, Home Science, Sociology, Psychology, and Philosophy) and English Core/English Elective passing out from recognized Board or NIOS. **OR** 10 + 2 **in Health Care Science - Vocational stream ONLY** passing out from recognized Board or NIOS. **(In 10+2 Certificate/ Marksheet, Vocational Stream-Health care Science must be mentioned)** • As per on 31/12/2025, the minimum age for admission is 17 years and there is no upper age limit as per INC • Student shall be medically fit Disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity will be considered for Disabled person
		कुल सीटें		**170**	

<u>**पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरणः–**</u>

1 - बैचलर आफ फॉर्मेसी (B.Pharm) :-

Bachelor in Pharmacy is a 4 year long undergraduate program in which the students are introduced to various medicines and drugs.

Job Opportunities:

- With a range of lucrative career options, B.Pharmacy degree holders can find employment in the private or government sector as pharmacists, drugs inspectors, food inspectors, medical writers. The graduate can find job openings in the pharmaceutical industry, be legislative expert, clinical pharmacist, researcher and academician.

2 & 3 - डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (**जी0एन0एम0 / G.N.M.**) (पुरूष एवम् महिलाओं हेतु) & डिप्लोमा इन ऑक्ज़ीलरी नर्स मिडवाइफरी (**A.N.M.**) (केवल महिलाओं हेतु) :–

GNM and ANM programs are include classroom learning, practical sessions, and clinical learning. Clinical and community experience is provided under the guidance of faculty in various clinical settings in hospital and community settings. These course focuses on preparing students to graduate/certify as qualified nurses, who are self-directed professionals and responsible citizens who can render comprehensive nursing care to the needy and also assume first level positions in all health care agencies.

Job Opportunities:

With a range of lucrative career options after completionof these courses he/ she can work as:

a. After G.N.M.
- Nursing Officer
- Infection control/ Critical Care nurse
- Community Health Officer
- Pursue higher /Additional education like Post Basic B.Sc. Nursing, Post Basic Diploma courses

b. After A.N.M.
- Female Health Workers
- Pursue higher /Additional education like GNM

(4) आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क

- ❖ **आवेदन शुल्क सामान्य (UR) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आवेदकों के लिए रु. 3000.00 (with GST)**
- ❖ **आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) अभ्यर्थियों के लिए रु. 2000.00 (with GST)**

- ❖ अपने आवेदन फार्म का एक प्रिन्ट अवश्य ले लें और उसे Save भी कर लें। आवेदन क्रमांक नम्बर को लिख लें, पत्राचार में इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
- ❖ अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने में अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी व्यवधान के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- ❖ फार्म को सफलतापूर्वक Submit किये जाने के उपरान्त आपके मोबाइल और ई–मेल आई.डी. पर मैसेज जायेगा।
- ❖ परीक्षा, प्रवेश–पत्र, काउंसिलिंग इत्यादि की सूचना समय–समय पर अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर को सक्रिय अवस्था में रखें। ई–मेल में inbox तथा Junk/spam का भी अवलोकन करते रहें।

आवेदन फार्म भरने में किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हेल्प लाईन नं0 02261306274 एवम् Helpline Email ID: help.cpnet@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(5) परीक्षा कार्यक्रम (Examination Schedule)

सी.पी.एन.ई.टी.–2025 प्रवेश परीक्षा (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) का कार्यक्रम

दिनांक एवम् समय	प्रश्नपत्र	Number of Questions
संभावित तिथि 13–07–2025 (रविवार), समय–सारिणी के अनुसार वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जायेगा।	**(Only For Science Students)** A) Physics (भौतिक विज्ञान) B) Chemistry (रसायन विज्ञान) C) Biology (जीव विज्ञान)/Maths (गणित)	33 33 34
	(Only For Arts/Commerce/Other Students) A) General Hindi (सामान्य हिन्दी) B) General English (सामान्य अंग्रेजी) C) General Studies (सामान्य अध्ययन)	**Number of Questions** 20 20 60

नोट–

1. **अभ्यर्थी को उसकी 10+2 की Stream के अनुसार प्रश्न–पत्र उपलब्ध होगा।**
2. **प्रश्न–पत्र हेतु पाठ्यक्रम (Syllabus) विषयवार विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।**

टाई–ब्रेकिंग रूल्स –

छात्र/छात्राओं के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

(a) STREAM (Sequence PCB, PCM, Vocational (Health Care Science), Arts, & Commerce)
(b) If not resolved by (a) then, Wrong response in ascending order
(c) If not resolved by (a) & (b) then, Age in descending Order.
(d) If not resolved by (a), (b) & (c) then, academic percentage of subjects mentioned in application form.

नोटः अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से सम्बन्धित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

Sl.No.	Eligibility Criteria	Eligible for Courses
1.	Intermediate (10+2) Physics, Chemistry, Biology & English (PCBE) **OR** Intermediate (10+2) Physics, Chemistry, Mathematics & English (PCME)	B. Pharm, G.N.M., A.N.M.,
2.	Arts/Commerce/ Other streams as mentioned in Information Brochure. ***(In case of Vocational studies, only Health Care Science stream students are eligible for GNM and ANM)***	A.N.M. & G.N.M.

*** अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के दिन Iris Scan एवं बायोमेट्रिक की जायेगी अतः अभ्यर्थी अपने हाथों एवम् अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या अंगुलियों पर मेंहदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत किया जा सकता है।**

(6) आरक्षण (Reservation)

उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार सी.पी.एन.ई.टी.–2025 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत ''वर्टिकल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगा :

1.	SC अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2.	ST अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3.	OBC अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत ''हॉरिजॉटल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगाः–

1.	FF स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2.	EA भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3.	PwD विकलांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत*
4.	EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए (UR वर्ग के अन्तर्गत)	10 प्रतिशत
5.	महिला हेतु आरक्षण	20 प्रतिशत

* The Rights of Persons with Disabilities Act-2016 के अनुसार

- आरक्षण हेतु शासन के द्वारा जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- आरक्षण प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण–पत्रों को ही वैद्य माना जायेगा।
- अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय मूल (Original) जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा उसके बाद का जारी हुआ ही वैद्य माना जायेगा।

(7) प्रवेश पत्र (Admit Card)

प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी वेबसाईट पर अपनी लॉगिन आई0डी0 से प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे।

(8) परीक्षा परिणाम, स्क्रूटनी, मेरिट सूची एवं काउंसिलिंग

8.1 परीक्षा परिणामः–

परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् 01 दिवस के अन्दर परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के लॉगइन पैनल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8.2 स्क्रूटिनी –

8.2.1 परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि से तीन दिवसों तक स्क्रूटिनी/चैलेंज की प्रक्रिया हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उक्त प्रक्रिया हेतु परीक्षा में दिये गये प्रश्न, प्रश्नों की उत्तर कुँजी तथा अभ्यर्थी द्वारा दिये गये उत्तर अभ्यर्थियों के लॉगईन पैनल में उपलब्ध कराये जायेंगे। **अभ्यर्थियों द्वारा लॉगईन पैनल के माध्यम से निर्धारित शुल्क रू0 200.00 प्रति–प्रश्न जमा करते हुए उक्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।**

8.2.2 जिन प्रश्नों पर परीक्षार्थियों द्वारा आपत्ति की जायेगी उन सभी के साथ **प्रमाणिक** संदर्भ (reference) प्रेषित करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में आपत्ति **मान्य नहीं होगी।**

8.2.3 आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क उसे वापिस कर दिया जायेगा।

8.3 मेरिट सूची की घोषणाः–

स्क्रूटिनी प्रक्रिया के पश्चात् 07 दिवसों में मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए वेबसाईट पर प्रदर्शित एवं अभ्यर्थियों के लॉगइन पैनल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

8.4 काउंसिलिंग प्रक्रिया :–

(क). काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाईन पंजीकरण करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया ऑफलाईन माध्यम से सम्पादित की जायेगी। काउंसिलिंग संबंधी तिथियां, समय तथा स्थान व अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। काउंसिलिंग का कार्य कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

- ❖ सभी पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- ❖ **प्रथम चक्र की काउंसिलिंग–** फार्मेसी एवं नर्सिंग संकाय के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु काउंसिलिंग की जायेगी जिस हेतु मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा।
- ❖ **द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग–** द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रथम चक्र से आंवटन प्राप्त अभ्यर्थी भी पुनरावंटन हेतु भाग ले सकेंगे। द्वितीय चक्र में प्रोविजनल आवंटन के पश्चात रिक्त उप श्रेणी की सीटों को अन्तिम आवंटन करने से पूर्व उनकी मूल श्रेणी में समायोजित कर आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों का आवंटन अन्तिम करने से पूर्व अनुसूचित जाति की सीटों में सम्मिलित कर अन्तिम आवंटन कर दिया जायेगा।
- ❖ काउंसिलिंग के द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त न करने पर आवंटित सीट स्वतः ही रिक्त मानी जायेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी दोबारा किसी भी काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- ❖ द्वितीय काउंसलिंग समाप्त होने के उपरान्त किसी भी पाठ्यक्रम में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही **मॉप–अप राउंड की काउंसलिंग** कराई जाएगी। वह अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आयोजित काउंसलिंग द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश अथवा आवंटन प्राप्त किया है ऐसे अभ्यर्थी मॉप–अप राउंड की काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार यदि अन्तिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अर्ह अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के पश्चात भी इन श्रेणियों की सीटें रिक्त रह गयी है, तो उन्हें भी सामान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जायेगा।

Conversion Algorithm

S.No.	Conversion Category	Category Converted to
1	ST (PwD, Ex, FF, NCC)	ST
2	SC (PwD, Ex, FF, NCC)	SC
3	UR (PwD, Ex, FF, NCC)	UR
4	OBC (PwD, Ex, FF, NCC)	OBC
5	EWS (PwD, Ex, FF, NCC)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

(ख). काउंसिलिंग शुल्कः

- ❖ काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 500/– ऑनलाईन (प्रति काउंसलिंग) तथा सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 10,000/– का ऑनलाईन जमा करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र होगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेने की दशा में यह सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 10,000/– उसके काशनमनी/प्रशिक्षण शुल्क के रूप में समायोजित कर ली जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश नहीं लिया जायेगा उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सीट आवंटित नहीं होती है, उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 10,000/– ऑनलाईन माध्यम से ही उनके बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी। काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क रू0 500/– किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।

(ग). मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों को स्वयं निम्नवत् प्रलेखों की मूल एवं एक–एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित काउंसिलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा।

1.	सी.पी.एन.ई.टी.–2025 का प्रवेश–पत्र मूल रूप में।
2.	परीक्षाफल/मेरिट रैंक की प्रति।
3.	आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
4.	जन्मतिथि प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र।
5.	इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र।
6.	आनलाईन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ।
7.	उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)
8.	जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)। (OBC वर्ग के छात्र/छात्राओं का जाति प्रमाण–पत्र 01 अप्रैल, 2025 के बाद का होना चाहिये)
9.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/ई0डब्ल्यू0एस0 अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।

काउंसिलिंग हेतु प्रमुख दिशा–निर्देश

(क) काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ख) पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या में काउंसिलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है।

(ग) अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके ओवरआल रैंक (Combined Overall Rank) के अनुसार बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा। आरक्षित श्रेणियों की काउन्सिलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने ओवरआल रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट अथवा आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा।

(घ) कुल सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे जिससे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर प्रवेश पा सके। परन्तु बुलाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाये कि उन्हें अवश्य ही चयनित कर लिया जायेगा।

(च) यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसिलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

(9) प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

आवंटन पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी सम्बन्धित संकाय में निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक संकाय द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। **विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं को** आवंटन पत्र के **प्रिंट आऊट के साथ मूल अभिलेख तथा उनकी दो–दो प्रतिलिपियाँ लाना आवश्यक होगाः–**

1. सी.पी.एन.ई.टी–2025 का प्रवेश पत्र एवम् एलॉटमेन्ट लेटर।
2. जन्मतिथि प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र।
3. इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र।
4. जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/ई0डब्ल्यू0एस0 अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
6. उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण–पत्र।
7. चरित्र प्रमाण–पत्र।
8. स्थानान्तरण (T.C.) अथवा माईग्रेशन (Migration) प्रमाण–पत्र।
9. रु0 10/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग न करने सम्बन्धी शपथपत्र (छात्र द्वारा)।
10. रु0 10/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर छात्र द्वारा रैगिंग न करने सम्बन्धी शपथपत्र (माता अथवा पिता द्वारा)।
11. आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
12. आनलाईन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की चार (04) प्रतियाँ।

परीक्षा से सम्बन्धित लोक शिकायत/पब्लिक ग्रीवान्स हेतु ई–मेल आई0डी0
grievance.coreeupums@gmail.com
उक्त के अतिरिक्त किसी और ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित की गयी ग्रीवान्स संज्ञान में नहीं ली जायेगी।

(10) प्रशिक्षण शुल्क (Course Fee)

प्रशिक्षण शुल्कः – नर्सिंग/फार्मेसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण एवम् छात्रावास शुल्क निम्न तालिका के अनुसार देय होगा :–

अनावासीय छात्रों हेतु (Day Scholar)

क्र.सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रु0 2,000.00	रु0 2,000.00
2.	शिक्षण शुल्क	रु0 12,000.00	रु0 13,500.00
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रु0 10,000.00	रु0 5,000.00
4.	अन्य शुल्क	रु0 12,400.00	रु0 4,500.00
	कुल शुल्क	**रु0 36,400.00**	**रु0 25,000.00**

आवासीय छात्रों हेतु (Hosteller)

क्र.सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रु0 2,000.00	रु0 2,000.00
2.	शिक्षण शुल्क	रु0 12,000.00	रु0 13,500.00
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रु0 10,000.00	रु0 5,000.00
4.	छात्रावास (Double Sharing) व विद्युत उपभोग शुल्क	रु0 6,000.00	रु0 4,800.00
5	अन्य शुल्क	रु0 12,400.00	रु0 4,500.00
	कुल शुल्क	**रु0 42,400**.00	**रु0 29,800**.00

- **उक्त शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा फार्म एवं परीक्षा शुल्क छात्रों को विश्वविद्यालय एवं उ0प्र0 मेडिकल फैक्ल्टी के नियमानुसार जमा करना होगा।**
- प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट अनुमन्य नहीं है।

प्रमाण पत्र
{ UP FF }

संख्या– .... दिनांक : ....

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर

जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)................................ के आश्रित हैं।

स्थान : ....
दिनांक : ....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षर : ....
पूरा नाम : ....
पद नाम : ....
मोहर : ....

जिलाधिकारी
(सील)

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक { UP ES }

(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमांन्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या– .... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...., निवासी .... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय .... सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक .... को सेवानिवृत्त हुए हैं या थे/भारतीय सेना की सक्रिय सेना काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री .... भारतीय .... सेना की यूनिट .... में नियुक्त थे।

दिनांक –.................................... सेना की संबन्धित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .... दिनांक

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0 .... निवासी .... उपरोक्त श्री .... के पुत्र/पुत्री है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता

थल/नभ/जल जो उपयुक्त, अभ्यर्थी का नाम

यूनिट की संख्या व पता

AFFIDAVIT BY THE STUDENT ON ANTI-RAGGING

I,………….(full name of student with admission/registration/enrolment number) S/o D/o Mr./Mrs./Ms……………………………………………………..………………………, having been admitted to ……………..……..(name of the institution)…………………………., have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2). I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3). I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case. I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4). I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5). I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6). I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found quality of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ……………day of ……………month of……………..year.

____

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed of misstated therein.

Verified at…………(place)……on this the …….(day)…….of……(month)……….(year).........

____

Signature of deponent

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN ON ANTI-RAGGING

I, Mr./Mrs./Ms……………………………………………………(full name of parent/guardian), father/mother/guardian of……………………………………………(full name of student), with admission/registration/enrolment number……………………...., having been admitted to ……………..(name of the institution)…………………………., have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2). I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3). I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against may ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4). I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5). I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6). I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found quality of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ……………day of ……………month of……………..year.

____

Signature of deponent
Name:
Address:

Telephone/Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed of misstated therein.

Verified at…………(place)……on this the …….(day)…….of……(month)……….(year).........

____

Signature of deponent